

24.04.25

पत्रावली वैश हुई। वकील अभयपद अ०।

वकील गर्धी द्वारा अपने गर्धना पत्र को नोट प्रेंस
किया गया। वकील गर्धी का यह गर्धना पत्र नोट
प्रेंस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली बाद तर्तीक तकमील होकर
दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय में
पुनाया गया।

24/04/25
(किरण पाल)
RAS.

Neotpny

24/4